संख्या-11/2025/001-274-1-12-5099-14-2025

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-83 में नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से केन्द्रांश एवं राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/बाढ़ो०यो०/नमामि गंगे/707/2024-25, दिनांक 13 फरवरी, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0112-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 192.00 लाख, 42-अन्य व्यय में रू० 176.21 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व अन्य प्रासंगिक व्यय में रू० 27.83 लाख एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू० 1.56 लाख, **केन्द्रांश की कुल धनराशि रू० 397.60 लाख** तथा लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8912-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 128.00 लाख, 42-अन्य व्यय में रू० 117.47 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व अन्य प्रासंगिक व्यय में रू० 18.55 लाख एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू० 1.04 लाख, **राज्यांश की कुल धनराशि रू० 265.06 लाख** अर्थात **केन्द्रांश व राज्यांश सहित कुल धनराशि रू० 662.66 लाख (रूपये छः करोड़ बासठ लाख छाछठ हजार मात्र)** की संलग्न प्रपत्रों बी०एम०-9(भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या–बजट-1-481, दिनांक 04 मार्च, 2025 एवं आर.ई.संख्या–बजट-1-482, दिनांक 04 मार्च, 2025** में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.02.2025 एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
6. उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित निर्देशो/प्राविधानों के अनुसार कोषागार से आहरित कर योजना के S.N.A. एकाउन्ट में रखे जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्दशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2402007890112 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	27 सब्सिडी	1,92,00,000 (रुपये एक करोड़ बानबे लाख मात्र)
2	083	2402007890112 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	42 अन्य व्यय	1,76,21,000 (रुपये एक करोड़ छिहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र)
3	083	2402007890112 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	27,83,000 (रुपये सत्ताईस लाख तिरासी हजार मात्र)
4	083	2402007890112 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,56,000 (रुपये एक लाख छप्पन हजार मात्र)
	कुल			**3,97,60,000** **(रुपये तीन करोड़ सत्तानबे लाख साठ हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	27 सब्सिडी	1,28,00,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र)
2	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	42 अन्य व्यय	1,17,47,000 (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख सैंतालीस हजार मात्र)
3	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	18,55,000 (रुपये अठारह लाख पचपन हजार मात्र)
4	083	2402007898912 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,04,000 (रुपये एक लाख चार हजार मात्र)
	कुल			**2,65,06,000** **(रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख छह हजार मात्र)**

महायोग	6,62,66,000 (रुपये छह करोड़ बासठ लाख छियासठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-11/2025/001-274-1-12-5099-14-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20242025-12-5099-14-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-83 में नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007890111 (नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (के.60/रा.40-के.)	27 (सब्सिडी)	5,29,00,000 रुपये पाँच करोड़ उनतीस लाख मात्र	5,29,00,000 रुपये पाँच करोड़ उनतीस लाख मात्र	-1,50,60,300 रुपये एक करोड़ पचास लाख साठ हजार तीन सौ मात्र	15060300 -	3789397 -	00 2024-2025
083	2401007890123 (फूड्स एण्ड न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी (कृषि उन्नति योजना) (के.60/रा.40-के.)	27 (सब्सिडी)	23,53,15,000 रुपये तेईस करोड़ तिरेपन लाख पन्द्रह हजार मात्र	18,19,23,000 रुपये अठारह करोड़ उन्नीस लाख तेईस हजार मात्र	-2,46,99,700 रुपये दो करोड़ छियालीस लाख निन्यानवे हजार सात सौ मात्र	24699700 -	2186 15300 -	2024-2025

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	42 (अन्य व्यय)	1,53,10,000 रुपये एक करोड़ तिरेपन लाख दस हजार मात्र	1,76,21,000 रुपये एक करोड़ छिहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र	17621000 -	3253 1000 -	2024-2025
083	2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	27 (सब्सिडी)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	1,92,00,000 रुपये एक करोड़ बानवे लाख मात्र	19200000 -	22100000 -	2024-2025
083	2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	3,90,000 रुपये तीन लाख नब्बे हजार मात्र	1,56,000 रुपये एक लाख छप्पन हजार मात्र	156000 -	546000 -	2024-2025
083	2402007890112 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल ऐग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	24,00,000 रुपये चौबीस लाख मात्र	27,83,000 रुपये सत्ताईस लाख तिरासी हजार मात्र	2783000 -	5183000 -	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- NMNF एवं फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी योजनान्तर्गत अनुदान-83 के केन्द्रांश के प्राविधान में धनराशि अवमुक्त न होने के कारण।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान योजनान्तर्गत अनुदान-83 में प्राविधान न होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई- बजट-1-481 मार्फ 2024-25, दिनांक 04 फरवरी, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 03-03-2025 18:28:11

(रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20242026-12-5099-14-2025, दिनांक 04 मार्च फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20242025-274-12-5099-14-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-83 में नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2402007898911 (नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग)	27 (सब्सिडी)	3,52,67,000 रुपये तीन करोड़ बावन लाख सड़सठ हजार मात्र	3,52,67,000 रुपये तीन करोड़ बावन लाख सड़सठ हजार मात्र	-1,00,40,000 रुपये एक करोड़ चालीस हजार मात्र	1004000 -	2522700 -	2024-2025
083	2401007898923 (फूड एण्ड न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी (कृषि उन्नति योजना))	27 (सब्सिडी)	15,68,39,000 रुपये पन्द्रह करोड़ अड़सठ लाख उनतालीस हजार मात्र	12,12,44,000 रुपये बारह करोड़ बारह लाख चौवालीस हजार मात्र	-1,64,66,000 रुपये एक करोड़ चौंसठ लाख छियासठ हजार मात्र	16466000 -	14037300 -	2024-2025

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
063	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	27 (सब्सिडी)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	1,28,00,000 रुपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र	12800000 -	14800000 -	2024-2025
083	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	2,60,000 रुपये दो लाख साठ हजार मात्र	1,04,000 रुपये एक लाख चार हजार मात्र	104 000 -	364000 -	2024-2025
083	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	42 (अन्य व्यय)	1,02,07,000 रुपये एक करोड़ दो लाख सात हजार मात्र	1,17,47,000 रुपये एक करोड़ सत्रह लाख सैंतालीस हजार मात्र	1174700 -	2154000 -	2024-2025
083	2402007898912 (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रिकल्चर के अंतर्गत नमामि गंगे योजना)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	16,00,000 रुपये सोलह लाख मात्र	18,55,000 रुपये अठारह लाख पचपन हजार मात्र	1855000 -	3455000 -	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- NMNF एवं फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी योजनान्तर्गत अनुदान-83 के कैन्टांग के प्राविधान में धनराशि अवमुक्त न होने के कारण।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान योजनान्तर्गत अनुदान-83 मे प्राविधान न होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई- बजट-1-482 04 मार्च -2024-25, दिनांक- फरवरी, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

(रमेश चन्द तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20242025-274-12-6089-14-2025, दिनांक 04 मार्च फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।